न्यायालय अति० जिला कलक्टर दौसा
मु.नं. 60/2023 प्रा०पत्र स्थानांतरण
उनवान– आनन्द बनाम नीरज मीना SDO बांदीकुई व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22-2-24 | अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मीना उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई का स्थानांतरण हो गया है इसलिये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाने का औचित्य नहीं है।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता प्रार्थी के कथन पर मनन किया गया। विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण श्री नीरज मीना तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के विरुद्ध पेश किया गया है जिनका स्थानांतरण हो चुका है ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रार्थना पत्र सारहीन होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।<br><br>अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन मु.नं. 19/2023 प्रार्थना पत्र धारा 131 रा.लै.रे.एक्ट उनवान रामेश्वर बनाम राजस्थान सरकार वगैरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थी आनन्द पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी गादरवाड़ा गुजरान तहसील बांदीकुई जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाई [illegible] जो तब शुमार की जाकर नम्बर से [illegible] पूर्ति दाखिल रेकर्ड भण्डार [illegible]<br><br>दिनांक 22-2-2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>नरेश 22/02/2024<br><br>नरेश बुनकर<br>अति. जिला कलक्टर<br>दौसा (राज. | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:57:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official